Saathi

Date 22/10/2020 Page: 1 of 3

CLASS : B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT : POLITICAL SC.
PAPER : II (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH : 11 (THE COUNCIL OF MINISTERS & CHIEF MINISTER)
LECTURE NO. — 17

By.
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

मुख्यमंत्री
CHIEF MINISTER

राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति प्राप्त है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री की है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति —

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति या तो आम चुनाव के बाद करता है या फिर तब करता है, जब मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के कारण या बर्खास्त कर दिए जाने के कारण उसका पद रिक्त हो जाता है।

जब चुनाव में एक ही दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाय और उस दल या गठबंधन का सर्वमान्य चयनित नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। विधानसभा में किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करके मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसे नियत समय अन्दर विधानसभा

Scanned with CamScanner

Saathi

Date ___/___/___

में बहुमत साबित करने का निर्देश देता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं —

(i) मंत्रिपरिषद का निर्माण —

मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को सौंपता है जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। मंत्रियों के विभागों के सम्बंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेता है।

(ii) मंत्रिमंडल का कार्य संचालन —

मंत्रिमंडल का कार्य संचालन में भी मुख्यमंत्री मुख्य भूमिका निभाता है। मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, बैठक की एजेंडा बनाना आदि सभी कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं।

(iii) शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय —

शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना मुख्यमंत्री का ही कार्य है। दो विभागों में या मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों में यदि किसी प्रकार का गतिरोध या मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो मुख्यमंत्री द्वारा इसे दूर किया जाता है।

(iv) मंत्रियों में कार्य बंटवारा और परिवर्तन —

मंत्रियों में विभागों एवं कार्यों का बंटवारा एवं जब चाहे मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।

Scanned with CamScanner

Date ___/___/_____

(v) मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य करना —

मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुँचाता है।

(VI) विधानसभा का नेता —

मुख्यमंत्री यदि विधानसभा का सदस्य होता है, तो वह विधानसभा का नेता भी होता है।

(VII) सरकार का प्रधान प्रवक्ता —

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों के परस्पर विरोधी बयान से भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो मुख्यमंत्री इसे अपने वक्तव्य से दूर करता है।

(VIII) राज्य में बहुमत दल का नेता —

मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढाँचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके प्रभाव तथा शक्ति में और अधिक वृद्धि कर देती है।

(IX) राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण —

मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण रखता है।

सामान्यतः व्यवहार में देखा गया है कि एकदलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, मिली-जुली सरकार का मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है।

Scanned with CamScanner